पटना में दिनांक–20 फरवरी, 2026 शुक्रवार को अपराह्न 5:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

खान एवं भूतत्व विभाग

1.	बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के नियम–41 के तहत बिहार राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले लघु खनिज लदे वाहनों पर 60 रूपये प्रति मीट्रिक टन अथवा 85 रूपये प्रति घनमीटर (जो भी लागू हो) की दर पर ट्रांजिट पास अनिवार्य करने के संबंध में।	1.	स्वीकृत।

खान एवं भूतत्व विभाग

2.	गया जिला में भारतमाला परियोजना अन्तर्गत 06 लेन ग्रीन फिल्ड वाराणसी–राँची–कोलकाता हाइवे के लिए ग्राम अनरबंसेलिया से ग्राम संग्रामपुर (कुल लंबाई 33.05 किलोमीटर) के निर्माण हेतु गया जिला में परियोजना के मार्गरेखन क्षेत्र में पड़ने वाले Hard Rock के क्रशिंग कार्य के लिए रियायतग्राही मेसर्स जी०आर० वाराणसी कोलकाता हाइवे प्राइवेट लिमिटेड को 03 वर्षों की अवधि के लिए क्रशर स्थापना की स्वीकृति के संबंध में।	2.	स्वीकृत।

गन्ना उद्योग विभाग

3.	"गन्ना उद्योग विभाग में बिहार ईख प्रसार संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2026 की स्वीकृति के संबंध में।	3.	स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

4.	वित्तीय वर्ष 2025–26 में बिपार्ड हेतु उपबंधित अवशेष राशि 5650.50 लाख (छप्पन करोड़ पचास लाख पचास हजार) रूपये की स्वीकृति के संबंध में।	4.	स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

5.	बिहार राज्य में महिलाओं के बीच उद्यमिता विकास हेतु "बिहार ग्रामीण परिवर्तन परियोजना (Bihar Rural Transformation Project-BRTP) – जीविका–III" के क्रियान्वयन की स्वीकृति के संबंध में।	5.	स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

6.	भागलपुर जिलान्तर्गत इस्माईलपुर–बिन्दटोली तटबंध के स्पर सं०–8 और स्पर सं०–9 के बीच क्षतिग्रस्त तटबंध का पुनर्स्थापन एवं सुरक्षात्मक कार्य हेतु प्राक्कलित राशि रू० 7328.02 लाख (रू० तिहत्तर करोड़ अट्ठाइस लाख दो हज़ार रूपये मात्र) के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।	6.	स्वीकृत।

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

7.	वित्तीय वर्ष 2025–26 में नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेन्ट के तहत कॉम्फेड अन्तर्गत बल्क मिल्क कूलर, डाटा प्रोसेसर आधारित दुग्ध संग्रहण इकाई एवं दूध मिलावट जाँच मशीन के स्थापना, जिसमें भारत सरकार का अंशदान रू० 28,44,21,000/–(रूपये अठाईस करोड़ चौवालीस लाख इक्कीस हजार) एवं राज्य सरकार का अंशदान रू० 28,44,21,000/–(रूपये अठाईस करोड़ चौवालीस लाख इक्कीस हजार) अर्थात कुल लागत मूल्य रू० 56,88,42,000/–(रूपये छप्पन करोड़ अठासी लाख बयालीस हजार) मात्र के स्वीकृति के संबंध में।	7.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

8.	दरभंगा जिलान्तर्गत अंचल–बहादुरपुर, मौजा–बलिया, थाना सं०–120/2, खाता सं०–174 खेसरा सं०–328, रकबा–4. 20 एकड़, किस्म–धनहर–2 एवं खाता सं० –174 खेसरा सं०–329, रकबा–0.80 एकड़, किस्म– पुरानी परती कुल प्रस्तावित रकबा–05 एकड़ अनावाद बिहार सरकार भूमि नवीन केन्द्रीय विद्यालय, दरभंगा (एम्स के पास) के भवन निर्माण हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को एक रूपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ निःशुल्क बंदोबस्त किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।	8.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

9.	श्री प्रिंस राज, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सुपौल सदर, सुपौल सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय–आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा को उनके द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के 60–62वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में दिये गये जाली एवं कूटरचित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र के रद्द होने के कारण विज्ञापन में निहित शर्तों के अधीन सेवा मुक्त/ सेवाच्यूत करने की स्वीकृति के संबंध में।	9.	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

10.	स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार परिचारिका संवर्ग नियमावली–2024 में आंशिक संशोधन करने हेतु "बिहार परिचारिका संवर्ग (संशोधन) नियमावली–2026" को स्वीकृत एवं लागू करने के संबंध में।	10.	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

11.	स्वास्थ्य विभाग, बिहार के अन्तर्गत बिहार राज्य संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल परिषद् नियमावली, 2024 को निरस्त करते हुए बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद् नियमावली, 2026 (Bihar State Allied and Healthcare Council Rules, 2026) के गठन की स्वीकृति के संबंध में।	11.	स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग
(समाज कल्याण निदेशालय)

12. समाज कल्याण निदेशालय एवं उसके अधीनस्थ कार्यालय लिपिक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2026 की स्वीकृति के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग
(समाज कल्याण निदेशालय)

13. बिहार बाल संरक्षण पदाधिकारी संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2026 की स्वीकृति के संबंध में। — 13. स्वीकृत।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

14. बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन अन्तर्गत मेगा AI-CoE की स्थापना हेतु Industry Partner एवं Academic Partner के रूप में क्रमशः M/s Tiger Analytics, Chennai एवं IIT, Patna का चयन नामांकन के आधार पर किये जाने की स्वीकृति। — 14. स्वीकृत।

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

15. सात निश्चय कार्यक्रम के तहत विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित 46 (छियालीस) राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के मशीनें/उपकरण/उपस्कर/कम्प्यूटर एवं अन्य सामग्रियों के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रू० 32,08,00,000.00 (बतीस करोड़ आठ लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 में संबंधित संस्थानों को राशि विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में। — 15. स्वीकृत।

वित्त विभाग

16. बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को वित्त विभागीय संकल्प संख्या–6649, दिनांक–28.07.2023 की कंडिका–3 (IX) (ग) द्वारा अनुमान्य मृत्यु–सह– सेवानिवृति उपादान की अधिसीमा (25 लाख रूपये) की प्रभावी तिथि–01.01.2024 किये जाने के संबंध में। — 16. स्वीकृत।

वित्त विभाग

17. सरकारी कार्य प्रयोजनार्थ विदेश यात्रा के दौरान दैनिक भत्ता की दर के निर्धारण हेतु बिहार यात्रा–भत्ता नियमावली, 1949 के नियम–69(1) के नोट–(vii) के बाद नोट–(viii) जोड़े जाने के संबंध में। — 17. स्वीकृत।

वित्त विभाग

18. राज्य में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि (सीएसआर फंड) के सतत् अनुश्रवण एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बिहार राज्य कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सोसाइटी (सीएसआर सोसाइटी) को क्रियाशील करने हेतु कुल 12 (बारह) पदों के सृजन के संबंध में। — 18. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

19. बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति के उपरांत निजी कोचिंग/शैक्षणिक संस्थानों से संबद्धता के संबंध में आचारगत प्रतिबंध हेतु बिहार लोक सेवा आयोग (सेवा–शर्त्तें) विनियमावली, 1960 (समय–समय पर यथा संशोधित) के विनियम–15 के बाद एक नया विनियम–15 'क' अन्तः स्थापित करने के संबंध में। — **19. स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

20. बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 03, 2008) (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा–9(1), धारा–10 एवं धारा–11(1) में संशोधन की स्वीकृति। — **20. स्वीकृत।**

सिविल विमानन विभाग

21. बिहार में नये अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्कता बढ़ाने के लिए नीति में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति के संबंध में। — **21. स्वीकृत।**

गृह विभाग

22. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम, 46) की धारा–218(3) के प्रावधानों के तहत उक्त संहिता की धारा–218(2) में आने वाले "केन्द्रीय सरकार" पद के स्थान पर "राज्य सरकार" पद अधिसूचित किए जाने की स्वीकृति के संबंध में। — **22. स्वीकृत।**

कृषि विभाग

23. वित्तीय वर्ष 2025–26 में केन्द्रीय क्षेत्र की मखाना विकास योजना को कुल 1440.00 लाख (चौदह करोड़ चालीस लाख) रूपये की लागत पर कार्यान्वयन, राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — **23. स्वीकृत।**

विधि विभाग

24. माननीय उच्च न्यायालय, पटना की स्थापना में 108 (एक सौ आठ) अतिरिक्त पदों के सृजन के संबंध में। — **24. स्वीकृत।**

विधि विभाग

25. बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1983 में संशोधन हेतु प्रस्तावित बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2026 की स्वीकृति के संबंध में। — **25. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

26. सात निश्चय–3 के आलोक में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत राज्य के प्रखण्ड स्तरीय 534 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 06 अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को विशिष्ट चिकित्सा केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने के उद्देश्य से उक्त केन्द्रों में विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (नेत्र रोग एवं ई०एन०टी०) के कुल 1080 (एक हजार अस्सी) अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — **26. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

27. स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत राज्य के सभी 534 प्रखण्ड स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 06 अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 61 अनुमंडलीय अस्पताल, 25 सदर अस्पताल, 08 ट्रॉमा सेन्टर एवं लोकनायक जयप्रकाश नारायण सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना में बिहार स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (हड्डी रोग) के कुल 671 (छः सौ इकहत्तर) अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति। — **27. स्वीकृत।**

सिविल विमानन विभाग

28. सारण जिलान्तर्गत ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सोनपुर की स्थापना के लिए आधारभूत संरचना हेतु कुल चिन्हित 4228.61 एकड़ भूमि अर्जित किये जाने हेतु अनुमानित मुआवजा राशि ₹13,02,83,87,543/–(एक हजार तीन सौ दो करोड़ तेरासी लाख सत्तासी हजार पाँच सौ तेंतालीस रूपये) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — **28. स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

29. श्री सुधीर कुमार, (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक–475/2024, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, रोहतास सम्प्रति सेवा से बर्खास्त द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करते हुए "सेवा से बर्खास्तगी, जो समान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी" संबंधी अधिरोपित दंड को बरकरार रखने के संबंध में। — **29. स्वीकृत।**

कला एवं सस्कृति विभाग

30. उच्च शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान, पटना एवं प्राकृत जैन शास्त्र और अहिंसा शोध संस्थान वैशाली (बसोकुंड) को संग्रहालय निदेशालय, कला एवं सस्कृति विभाग को हस्तांतरित किए जाने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **30. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

31. स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत लोकनायक जयप्रकाश नारायण अतिविशिष्ट अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना के सुचारू रूप से संचालन हेतु संस्थान के परामर्शी, हड्डी रोग (वेतन स्तर–12) के पूर्व से सृजित 06 पदों में से 02 पदों को बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के अन्तर्गत उप निदेशक (प्रशासन) (वेतन स्तर–12) के 01 पद एवं उप निदेशक (चिकित्सा) (वेतन स्तर–12) के 01 पद के रूप में सम्परिवर्तन की स्वीकृति के संबंध में। **31. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

32. बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) विधेयक, 2026 के विधान मंडल में उपस्थापन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। **32. स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

33. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम अन्तर्गत राजस्व मानचित्रों तथा खतियान के अद्यतनीकरण हेतु भू–सर्वेक्षण कार्य एवं भू–अभिलेखों का स्कैनिंग एवं डिजिटाईजेशन योजना को चालू रखते हुए 01 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक के लिए योजना के अवधि विस्तार हेतु राज्य योजना अन्तर्गत 1078,86,85,000.00 (दस सौ अठहत्तर करोड़ छियासी लाख पचासी हजार) रूपये मात्र के व्यय एवं नियमित तथा संविदा सहित कुल 16012 पदों (नियमित 1504 एवं विशेष सर्वेक्षण हेतु सृजित एवं पूर्व से सृजित संविदा के 14508) के अवधि विस्तार की स्वीकृति। **33. स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

34. भागलपुर जिलान्तर्गत अंचल–गोराडीह के मौजा–सरकार अमानत, थाना सं०–496, खाता सं०–67, खेसरा सं०–83, रकबा–14.70 एकड़ एवं खेसरा सं०–84, रकबा–0.31 एकड़ कुल रकबा–15.01 एकड़ भूमि पर खेल अवसंरचना के निर्माण हेतु खेल विभाग, बिहार, पटना को स्थायी निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति के संबंध में। **34. स्वीकृत।**